

Panchayat
14/11/22
दिना
14/11

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 09.11.2022

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य समस्त जिलों में पंचायतीराज संस्थाओं (पंचायत समिति सदस्यों एवं सरपंच व पंच) के उप चुनाव माह नवम्बर, 2022 में करवाये जा रहें हैं (प्रति संलग्न)। उक्त पंचायतीराज संस्थाओं में मतदान दिनांक 25.11.2022 को होगा। अतः मतदान दिवस दिनांक 25.11.2022 (शुक्रवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

इं

(शैली किशनानी)
विशिष्ट शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(2)/पंचा/रानिआ/2022/ 11592

दिनांक: 14.11.22

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

14/11
सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग